उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-410/1060/41-1-2023-सी0एन0-1767678-2023
लखनऊ:: दिनांक 18 मार्च, 2024

**शुद्धि-पत्र**

जनपद सहारनपुर में जड़ौदा पाण्डा स्थित जूड़ मंदिर का पर्यटन विकास एवं अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु शासनादेश संख्या-342/2024/421/41-1-2024- सी0एन01767678-2023, दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा रू0 974.36 (.18 प्रतिशत जी0एस0टी0सहित ) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड मात्र) की धनराशि निर्गत की गयी है।महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 के पत्र संख्या-11110/6-1-1(187)/2023-24 दिनांक 17.03.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर-2 में कार्यदायी संस्था के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। संदर्भगत परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था के नाम को अंकित करते हुए शुद्धि-पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अत: उक्त अनुरोध के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-342/2024/421/41-1-2024- सी0एन01767678-2023, दिनांक 14 मार्च, 2024 का प्रस्तर-3 एतद्ववारा निम्नवत् पढ़ा जाय:-

'' इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने कस निदेश हुआ है कि जनपद सहारनपुर में जड़ौदा पाण्डा स्थित जूड़ मंदिर का पर्यटन विकास एवं अवस्थापना सुविधाओ के सृजन हेतु सी0 एण्ड डी0एम0 (जल निगम उ0प्र0) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 974.36 लाख (18 दो करोड़ मात्र जी0एस0टी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कार्य योजना में अनुमानित व्यय के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) को निर्गत किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

2- तदनुसार शासनादेश दिनांक संख्या-342/2024/421/41-1-2024- सी0एन01767678-2023, दिनांक 14 मार्च, 2024 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगें।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

**<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3 जिलाधिकारी, सहारनपुर।
4 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5 प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
6. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8.उप निदेशक,
9. उप निदेशक, पर्यटन (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशाय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक 5,6,7,8,10 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. उप निदेशक, पर्यटन, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।